

## कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद

क्रमांक : 03

दिनांक : 22.05.2021

### —: वाहन किराये पर लेने की सूचना :—

इस विभाग में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द के लिये 01 महिन्द्रा बोलेरो वाहन (07 सीटर वातानुकूलित) किराये पर लिये जाने हेतु प्रतिष्ठित अनुभवी व्यक्ति वाहन स्वामी/टेकेदार/फर्म से संलग्न प्रारूप में व शर्तों तथा शरायतों के अध्यक्षीन मोहरबंद प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे। जिसकी अन्तिम दिनांक 21.05.2021 प्रातः 11 बजे तक की थी।

उक्त क्रम में राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण व सम्पूर्ण लॉकडाउन होने के कारण परिवहन की सेवा बन्द होने के कारण आज दिनांक 21.05.2021 तक महिन्द्रा बोलेरो वाहन के लिये कोई प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

अब पूर्णरूप से भरे हुए सीलबंद प्रस्ताव दिनांक 31.05.2021 को प्रातः 11.00 बजे तक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (एडीआर सेंटर), राजसमन्द के कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं। निविदा उसी दिन खोली जायेगी। प्रस्ताव पत्र का प्रारूप व शर्तें एवं शरायतें जिला न्यायालय, राजसमन्द की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/rajsamand> तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाईट [www.rlsa.gov.in](http://www.rlsa.gov.in) पर देखी जा सकती है एवं डाउनलोड की जा सकती है तथा इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है।



अध्यक्ष,  
उपापन समिति,  
(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)  
राजसमंद

क्रमांक : जि.वि.से.प्रा./2021/1811-1813

दिनांक : 22.05.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

01. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सादर प्रेषित है।
02. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमन्द को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
03. नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद
04. कार्यालय प्रति।



अध्यक्ष,  
उपापन समिति,  
(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)  
राजसमंद